फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

श्री लालसिंह बनाम विपक्षी श्री फतहसिंह व अन्य

मुकदमा – धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 58/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी न. 3, 45, 51 कुल किता 3 रकबा 0.4900 है. भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है जो आये दिन वादी की वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने की नियत से वादी को परेशान करता है सेजारी को धमकी देता है तथा वादग्रस्त आराजीयात में अनाधिकृत प्रवेश कर फसल को नुकसान करता हैं बाड–घास आदि को नुकसान करता है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने पर उतारू है जिससे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया तथा अनुपस्थित है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र वादी लालसिंह पिता किशनसिंह राजपुत का पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी खाता संख्या नया 23 की प्रदर्श 1 कराई गई।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि वादग्रस्त आराजी न. 3, 45, 51 में वादी एकमात्र खातेदार हैं जो जमाबंदी प्रदर्श 1 से स्पष्ट हैं। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं हैं। वादी द्वारा कथन कहा है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने की नियत से वादी को परेशान कर रहा हैं। वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार होने से वादी का हित निहीत हैं जिससे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है तथा वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सोलंकियों का खेडा पटवार हल्का लूणदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 23 की आराजी न. 3, 45, 51 कुल किता 3 रकबा 0.4900 है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। प्रतिवादी वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:14 IST
Reason: SelfAttested